



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी संदीप को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 10 वर्ष का कठोर कारावास व 25,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2020 में अभियुक्त संदीप पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम पतला थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद हाल पता जवाहरनगर थाना ककरखेडा जनपद मेरठ द्वारा वादी की पुत्री का अपहरण कर दुष्कर्म करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 102/20 धारा 363/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 04.11.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो कोर्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त सन्दीप को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



नरेंद्र सिंह पंवार
एडीजीसी



हेमन्त कुमार
कोर्ट पैराकार

@baghpatpolice

baghpatpolice



Baghpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना छपरौली

दिनांक 04.11.25

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 261/25 धारा 191(2)/191(3)/
115(2)/ 352/109(1)/333/117(2) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को
गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.10.25 को थाना छपरौली पर वादी श्री प्रवेन्द्र पुत्र करण सिंह निवासी ग्राम बदरखा थाना छपरौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1- मेहरदीन, 2- यामीन, 3-सलीम, 4- वसीम, 5-शादीन, 6-इस्लाम, 7- समीर पुत्र इस्लाम, 8-सैम पुत्र इस्लाम, 9-सादा उर्फ शमशाद पुत्र हनीफ, 10-आश मौहम्मद पुत्र सादा, 11-आश पुत्र सादा, 12-आसफ पुत्र सादा, 13-चपा पुत्र सादा, 14-शबनम पात्न यामान, 15-प्रवान पुत्र इस्लाम,



16-शकीला पत्नि मेहरदीन तथा अन्य अज्ञात समस्त निवासीगण ग्राम बदरखा थाना छपरौली द्वारा एक राय होकर लाठी, डण्डे, तबल व अन्य हथियार लेकर आवेदक के घर में घुसकर आवेदक के परिजनों के साथ जान से मारने की नीयत से मारपीट करना, गाली-गलौच करना जिससे आवेदक प्रवेन्द्र, आवेदक का भाई अरविन्द, पिता करण सिंह, माता जगवती, पत्नि अनीता व भाभी रविता का गंभीर रूप से घायल हो जाना तथा आवेदक के पिता के दाहिने पैर व आवेदक के बायीं बाजू की हड्डी टूट जाना । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 261/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/109(1)/333/117(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 261/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/ 352/109(1)/333/117(2) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना छपरौली पुलिस द्वारा पूर्व में 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- शादीन पुत्र मेहरदीन निवासी ग्राम बदरखा थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2- कामिल पुत्र मेहरदीन निवासी ग्राम बदरखा थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 श्री गवेन्द्रपाल सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री अमित गोला थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 822 जोगेन्द्र थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 4-का0 411 पीयूष थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 5-का0 594 सरफराज थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 6-का0 597 प्रेमपाल थाना छपरौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

दिनांक 04.11.2025

बागपत पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

1-खालिद पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम अशरफाबाद थल थाना रमाला जिला बागपत ।

2-फरमान पुत्र सकूरा निवासी ग्राम अशरफाबाद थल थाना रमाला जिला बागपत ।

3-सतीश पुत्र दलेल निवासी महेशपुर चौपडा थाना सिंघावाली अहीर जनपद बागपत ।



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थाना रमाला पुलिस टीम । (02 वारंटी)

2-थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम । (01 वारंटी)